मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. नाथु पुत्र काना
2. अमरचन्द पुत्र काना
3. लाला पुत्र काना
4. मुकेश पुत्र काना
5. कुलदीप पुत्र बद्रीलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम आमली तहसील केकडी जिला अजमेर।

——वादीगण

—: बनाम:—

[redacted] घासी पुत्र कालू जाति चमार निवासी आमली तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी।

——प्रतिवादीगण

वाद पत्र:— अंतर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर:— राजस्व वाद 34 / 2022 (2022 / 119)
निर्णय दिनांक:— 20.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री शिवप्रसाद पाराशर वकील वादी व सुरेन्द्र सिंह पंवार प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से व पैरोकार सरकार हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि ग्राम आमली तहसील केकडी के खाता संख्या नया—पुराना 40—41 खसरा नंबर 10 रकबा 0.75हैक्टर किस्म बारानी 1 वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार के अंकन किया जावे तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज ....मुवलिक..बावत्.................................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......
....................................को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 अप्रैल 2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
आहदा
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	0	0	मीजान		0

नोट:— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.26 17:52:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 34/2022 (2022/119)

1. नाथु पुत्र काना
2. अमरचन्द पुत्र काना
3. लाला पुत्र काना
4. मुकेश पुत्र काना
5. कुलदीप पुत्र बदीलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण आमली तह. केकडी जिला अजमेर।

---वादीगण

♠ बनाम ♠

1. घासी पुत्र कालू जाति चमार निवासी आमली तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी।

---- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

-:: निर्णय ::-

दिनांक 20.4.2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्नलिखित आराजीयात वाके आमली तहसील केकडी मे स्थित है। जिसका जमाबन्दी स.2070-73 के अनुसार निम्न प्रकार है:-

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
40-41	10	0.75	बारानी 1

उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड सन् 1349 फसली ख नं. 8 रकबा 04-10-00 काना. बाली वल्द छोटी जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी के ख नं. 7 बने तत्पश्चात वर्तमान ख नं. 10 है उपरोक्त वर्णित आराजी पर वादीगण के पूर्वज व उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण का ही कब्जा काश्त हैं। निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है उपरोक्त वर्णित आराजी से प्रतिवादी का किसी प्रकार से वास्ता सरोकार व हक अधिकार नही है और ना ही हो सकता है। उपरोक्त वर्णित आराजी 1349 फसली मे काना, बाली वल्द छोटी कोम जाट के नाम दर्ज थी। तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसान वादीगण के नाम दर्ज होनी थी लेकिन राजस्व अधिकारीयो ने बिना किसी आदेश व बिना विधिक वारिसान की जाच किये ही उक्त आराजी का नामान्तकरण प्रतिवादी के नाम अंकन कर दिया उक्त अंकन कतई गलत मिथ्या निराधार तथ्यो पर व बिना किसी दस्तावेज के किया गया हैं इसलिए उक्त इन्द्राज को दुरस्त किया जाकर वादीगण को वाद वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक वाद वर्णित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी हक अधिकार की आराजी है काना व बाली की मृत्यु के उपरान्त वाद वर्णित आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रतिवादी का वाद वर्णित आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally Signed by Vikas R Pancholi
Date: 2022.04.26 17:52:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

है लेकिन आराजी प्रतिवादी के नाम गलत रूप से राजस्व रिकोर्ड मे इन्द्राज हो जाने से प्रतिवादी की नियतबद्ध है तथा प्रतिवादी नियम एवं कानूनो के विरूद्ध जाकर वादीगण को उनकी पुश्तैनी हक अधिकार की आराजी से जबरन बेदखल कर आराजी को अन्य दीगर व्यक्ति को रहन बैचान बक्षीस इत्यादी करना चाहता है। इसलिए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। वाद वर्णित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजी है प्रतिवादी के नाम गलत अंकन हो जाने से प्रतिवादी आराजी पर कब्जा कर वादीगण को उनकी आराजी से जबरन बेदखल करना चाहता है इसलिए उक्त इन्द्राज को दुरस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। दिनांक 24.01.2022 को प्रतिवादी वादीगण की पुश्तेनी आराजीयात पर आया और वादीगण को धमकी दी की आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में मेरा नाम दर्ज हो गयी है अब में इस आराजी पर कब्जा कर तुम्हे बेदखल करके आराजी को अन्य दीगर व्यक्ति को बैचान अन्तरण हस्तान्तरण करूगा तत्पश्चात इस प्रकार की धमकीया देकर वादीगण ने राजस्व रिकोर्ड से नकले प्राप्त करी तो जानकारी में आया की प्रतिवादी के नाम गलत अंकन हो गया है तथा इस गलत अंकन के आधार पर आराजी पर कब्जा करना चाहता है तथा इस प्रकार की धमकीया आये दिन दे रहा है। इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया हैं । प्रतिवादीगण अपने नाजाजय उद्देश्य मे कामयाब हो जाते है तो वादीगण अपनी पुश्तैनी आराजीयात से बेदखल हो जायेगा। तथा जिससे वादीगण को अनेका अनेक कार्यवाहीयो का सामना करना पडेगा। वादी खर्चे से जैर बार हो जायेगा। करने का मूल कारण दिनांक 24.01.2022 को प्रथम बार उत्पन्न हुआ अब दिन प्रतिदीन उत्पन्न हो रहा है । राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी सं. 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। तथा राजस्थान सरकार के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 का जाप्ता दीवानी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन वादी का वाद आवश्यक प्रकृती का होने से उक्त नोटिस से छुट दिलाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वाद माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होने से बात को सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को है वाद प्रस्तुत निवेदन है कि निम्न आशय कि डिग्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादीर फरमायी जावे। वाद वर्णित आराजीयात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में बतोर खातेदार के अंकन किया जाकर अलग से लगान मुकरर किया जावे। प्रतिवादीगण उसके मुख्यार, नोकर, चाकर, हाली सिरी आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे की वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन बैचान बक्षीस इत्यादी नही करे और ना ही वादीगण के कब्जे स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। वाद वर्णित आराजीयात के बाबत् मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की स्थिति का यथावत बनायी रखने का निवेदन वादी ने अपना वादपत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसे सामिल पत्रावली किया गया। जो निम्नानुसार है

प्रतिवादी संख्या 1 जवाब दावा निम्नानुसार है [illegible] की चरण संख्या 1 में वर्णित कथन आराजी वाके ग्राम आमली में स्थित होना स्वीकार [illegible] वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कथन स्वीकार है उपरोक्त वर्णित आराजी [illegible] आराजी है तथा कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchoi
Date: 2022.04.26 17:52:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

भी वादीगण का ही चला आ रहा है वर्णित आराजी पर मुझ प्रतिवादी का कभी भी कब्जा नही रहा है उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम दर्ज होने की जानकारी मुझे ना तो पूर्व में थी और ना ही अब है मुझे उक्त वाद के नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी हुई की उक्त आराजी गलती से मेरे नाम दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाद पत्र की चरण संख्या 3,4,5,6 स्वीकार है उक्त आराजी मेरे नाम दर्ज होने की ही जानकारी नही है मुझ प्रतिवादी को उक्त दखल अन्दाजी करने का प्रश्न ही नही होता है वर्तमान मे भी आराजी पर कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है तथा पूर्व में भी वादीगण का ही था। वर्णित आराजी पर मुझ प्रतिवादी का कभी भी कब्जा नही रहा है वाद पत्र की चरण संख्या 7 कथन स्वीकार है तथा वाद पत्र की चरण संख्या 8,9,10,11 में वर्णित कथन कानूनी है प्रतिवादी संख्या 1 ने अतिरिक्त कथन करते हुये बताया कि उपरोक्त वाद वर्णित आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है तथा कब्जा काश्त भी वादीगण का ही चला आ रहा है वर्णित आराजी पर मुझ प्रतिवादी का कभी भी नही रहा है। उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मेरे दर्ज होने की जानकारी मुझे ना तो पूर्व मे थी और ना ही अब है मुझे उक्त वाद के नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी हुई की उक्त आराजी गलती से मेरे नाम दर्ज हो गई है। जिसे दुरूस्त किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नही है। मुझ प्रतिवादी को उक्त आराजी मेरे नाम दर्ज होने की ही जानकारी नही है तो कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने का प्रश्न ही नही होता है वर्तमान में भी आराजी पर कब्जा कश्त वादीगण का ही चला आ रहा है तथा पूर्व में भी वादीगण का ही था। वर्णित आराजी पर मुझ प्रतिवादी का कभी भी कब्जा नही रहा है अतः जवाव दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की वाद वर्णित आराजी वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित बताया है।

प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार सरकार का जवाब दावाः– राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम आमली का खसरा संख्या 10 रकबा 0.75 हैक्टर घासी पुत्र कालू कौम बैरवा सा. देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा कालेडा कृष्ण गोपाल के नाम दर्ज है। वाद पत्र का बिदुं संख्या 2 का कथन पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संख्या 1358 फसली की प्रतिलिपी अनुसार स्वीकार है शेष कथन वादी स्वयं सिद्व करे। वाद पत्र के बिंदु संख्या 3 में उल्लेखित कथन आंशिक रूप से स्वीकार है फसली संख्या 1358 की जमाबंदी प्रतिलिपी अनुसार शेष कथन वादी स्वयं सिद्व करे। बिदुं संख्या 4 में उपस्थिति कथन वादी स्वयं सिद्व करे। बिंदु संख्या 5,6 स्वयं सिद्व व बिंदु संख्या 7,8,9,10,11 के कथन कानूनी है प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होता है वाद वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड(वर्तमान) अनुसार बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है।

प्रार्थीगण द्वारा सहादत वादी में गवाहान श्री नाथू व श्री रामधन के शपथ पत्र पेश किये। तथा गवाहान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर ए टू बी पर हस्ताक्षर करवाये तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज पेश किये है जमाबंदी की प्रति पेश कि जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता शून्य किया गया

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की उपस्थिति में तनकीयात कायम की गई तनकीयात अनुसार नि[illegible]

तनकीयात 1 वादीगण भूमि खसरा संख्या 10 रकबा 0.75 हैक्टर पुराने खसरा नंबर 8 रकबा 0.75हैक्टर वाके ग्राम आमली तहसील [illegible] काश्तकार घोषित होने योग्य पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.26 17:52:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

जाता है स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा में स्पष्ट कथन किया है कि उक्त पुश्तैनी आराजी पर वादीगण ही कब्जा काश्त है तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम गलती से दर्ज हो गया है उक्त दुरूस्त किया जाने में प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व में तय कि जाती है तनकीयात 2 वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार होना जाहिर होता है क्योंकि उक्त आराजी पर गलती से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कालेडा कृष्ण गोपाल के नाम रहन है जिससे जाहिर होता है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 बैचान अन्तरण हस्तान्तरण किया जा सकता है अतः यह वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व में तय कि जाती है

अतः पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर किया, वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान व प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा अवलोकन किया अत वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम का दावा डिग्री वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है तथा वाद वर्णित आराजी वाके ग्राम आमली तहसील केकडी के खाता संख्या नया–पुराना 40–41 खसरा नंबर 10 रकबा 0.75हैक्टर किस्म बारानी 1 वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार के अंकन किया जावे। तथा उक्त वादवर्णित आराजी के वादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज नही होने तक प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन बैचान बक्षीस इत्यादी नही करे और ना ही वादीगण के कब्जे स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने एव वाद वर्णित आराजीयात के मोके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.26 17:52:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner